



अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक, नए पूंजी पर्याप्तता प्रेमवर्क बेसल III पर समय - समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर III अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबंधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबंधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक का जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होता है।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएससीबी) गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप समिति, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), फ्रॉड जोखिम के प्रबंधन हेतु परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (सतर्कता) समिति तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा समिति का भी गठन किया है।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएं

विभाग और सामान्यतः अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंदु के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में प्रेमवर्क के अनुपालन में है। बेसल III दिशानिर्देशों की शुरुआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल II प्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित फेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बैं. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मूल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूंजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच / प्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषतः बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है। जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर, सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर, मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविड्थ कनेक्शन, वैकल्पिक सेवा प्रदाता से ड्वेल कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रू जून डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग (आई एस सेक्यूरिटी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबकि आई एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली



ADDITIONAL DISCLOSURES

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate tradeoff between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for the managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) and ALCO Sub-committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee for managing operational risk, Operational Risk management (Vigilance) Committee for managing fraud risk and Information Security Committee for managing Information security.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convenor for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in

particular, and other functional departments / branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committee.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO / RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service/alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. Information System Security Department has been established to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches.. The bank has fine tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every



को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर डिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित की जाती है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में संलग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2013 से प्रभावी लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर घरेलू व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 को समाप्त तिमाही से बैंक द्वारा बेसल III पूंजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए भारत में बेसल III पूंजी विनियामकों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल II फ्रेमवर्क के तीसरे पिलर का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी

आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाज़ार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जाखिम एक्सपोजर जाखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जाखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (3) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (4) उधार जाखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (6) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (7) ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम (डीएफ-7), (8) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (9) बैंकिंग बुक में व्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (10) कार्डटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10) और (11) पूंजी का संघटन (डीएफ-11)। यह बाज़ार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

1. प्रयोज्यता की संभावना और पूंजी पर्याप्तता तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है
(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

निगमन के देश/ इकाई का नाम	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाई समेकन की विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है		लागू नहीं		

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची: लागू नहीं

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक ईकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
		बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है	लागू नहीं		



quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10) and (k) Composition of Capital (DF (11)). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF -1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the frame work applies
Qualitative Disclosures

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
		Bank does not belong to any group		Not Applicable		

a. List of group entities considered for consolidation: Not applicable

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
		Bank does not belong to any group	Not Applicable		



(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम (ऊपर 1 (क) में सूचितानुसार)	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
लागू नहीं			

(घ) सभी अनुषंगियों, जो समेकन की विनियामक संभावना में शामिल नहीं हैं, में पूंजी कमी की कुल राशि, जिसे घटाया गया :

निगमन का देश/ अनुषंगियों का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूंजी कमियाँ
लागू नहीं				

(ड) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की कुल राशि (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जाखिम भारत हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारत प्रक्रिया बनाम पूर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: लागू नहीं

तालिका डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता प्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह बेसल प्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसे बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी भानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित प्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित प्रेमवर्क का अद्यतन किया है और इस प्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय

रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) प्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) प्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II प्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

बेसल II प्रेमवर्क उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। इस प्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जाखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), बाजार जाखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उधार, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखा है।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबन्धित आँकड़ों के आधार पर बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर



ii. Quantitative Disclosures:

C. List of Group entities considered for consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Not Applicable			

D. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not Applicable				

E. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Not Applicable				

F. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group: Not applicable

Table DF-2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures:

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007

and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or



हैं। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूंजी की संगणना भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के जरिए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। पूंजी संगणना के विभिन्न पहलुओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वयकों के साथ हुई बातचीत के आधार पर फील्ड स्टाफ को आवधिक रूप से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि पूंजी संगणना में यथार्थता व पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जा सके।

सामान्यतः बैंक अपने सम्मुख आने वाले उधार जोखिमों को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है। संपारिर्वक प्रबंधन व उधार जोखिम कम करने के लिए एक समुचित नीति तैयार की गई है जिसे बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात् जोखिम भारित आस्ति की पूंजी के 9% के न्यूनतम अनुपात का बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीडीटी के साथ 7% न्यूनतम टियर I सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूंजी (टियर 1 पूंजी + टियर 2 पूंजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार 9% की न्यूनतम सीआरएआर के भीतर टायर 2 पूंजी को अधिकतम 2% तक स्वीकार किया जा सकता है। आरडब्ल्यूए की 5.5% सामान्य इक्विटी टायर I पूंजी के अतिरिक्त, बैंकों को 31.03.2016 से 31.03.2019 तक परिवर्तनीय प्रबन्ध के साथ सामान्य इक्विटी टायर I पूंजी के रूप में आरडब्ल्यूए का 2.5% पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना होता है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के पिलर 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और प्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कहीं लागू/ प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूंजी की पर्याप्तता के बारे में बैंक ने कारोबार की भावी संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता का आवधिक रूप से आकलन किया है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अधिशेष सीआरएआर भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा, टियर I और टियर II पूंजी घटकों में बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी समर्थन प्रदान करेगा। इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। भारत सरकार, जो बैंक में बड़ा शेयरधारण रखता है, पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने के लिए नई पूंजी को बढ़ावा दे रही है। भविष्य में, बैंक आय को बनाए रखकर तथा बेसल III अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में बाज़ार की शर्तों पर आधारित बाज़ार से नई पूंजी के आधान के जरिए उपयुक्त कदम उठाएगा।

बेसल III प्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टियर I पूंजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टियर I) तथा कुल जोखिम (बेसल III के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर संगणना का आधार "पूंजी की परिभाषा (पूंजी उपाय) तथा कुल जोखिम (जोखिम उपाय) पर आधारित है।" भारत में परिचालित बैंकों के लिए तिमाही आधार पर लीवरेज अनुपात तथा 01 अप्रैल 2015 से प्रदत्त टेम्पलेट्स के अनुसार तिमाही आधार पर इसके संघटकों का प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। पहला प्रकटीकरण 30 जून 2015 को समाप्त तिमाही के लिए किया जाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैंकों को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एनएसएफआर नियमित आधार पर वित्तपोषण के और अधिक स्थाई स्रोतों के साथ बैंकों को उनके कार्यकलापों के वित्तपोषण हेतु अनुरोध करके दीर्घकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एलसीआर व एनएसएफआर अपीक्षाएँ क्रमशः 1 जनवरी 2015 तथा 1 जनवरी 2018 से बैंकों पर बाध्य होंगी। बैंकों को संक्रमण अवधि प्रदान करने के मद्देनजर कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अपेक्षा न्यूनतम 60% होगी अर्थात् यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी और नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए समान चरणों में बढ़ोतरी अपेक्षित है:

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए 31.03.2016 को बैंक का एलसीआर 292.73% पर रहा जो भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित 70% के स्तर से भली भाँति ऊपर है। 31.03.2016 तक रु. 16058.23 करोड़ के साथ बैंक के पास उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों का मजबूत आधार है। बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियाँ रु. 13866.24 मूल्य की हैं जो न्यूनतम एसएलआर अपेक्षा से अधिक हैं। बैंक के पास आकस्मिक नकदी बाह्य प्रवाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है।



facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System. Necessary training is imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR).

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. Thus, within the minimum CRAR of 9%, Tier 2 capital can be admitted maximum up to 2%. In addition to the minimum Common Equity Tier 1 capital of 5.5% of RWAs, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 2.5% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 capital with a transitional arrangement from 31.03.2016 to 31.03.2019.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed. Government of India, which is the major share holder in the bank, has been subscribing fresh capital to augment capital adequacy. In future, the bank shall take suitable steps to augment the capital by retention of earnings and through infusion of fresh capital from the market depending upon the market conditions in order to meet the Basel III requirements.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. The basis for calculation at the end of each quarter is "based on the definition of capital (the capital measure) and total exposure (the exposure measure). Banks operating in India are required to make disclosure of the leverage ratio on quarterly basis and its components from April 1, 2015 on a quarterly basis as per the templates given. First disclosure required to be made for the quarter ending June 30, 2015.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The NSFR promotes resilience over longer term time horizons by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. The LCR and NSFR requirement would be binding on banks from January 1, 2015 and January 1, 2018 respectively. With a view to provide transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019 as per the time line given below:

	January 1, 2015	January 1, 2016	January 1, 2017	January 1, 2018	January 1, 2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

LCR for the bank as on 31.03.2016 stood at 292.73% which is well above the RBI stipulated level of 70% for the current calendar year. Bank is having a strong built up of High Quality Liquid Assets at Rs.16058.23 Crore as on 31.03.2016. Bank is having government securities to the worth of Rs.13866.24 Crore in excess to the minimum SLR requirements. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.



मात्रात्मक प्रकटीकरण	
क) उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
<ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर 	14702.04 शून्य
ख) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
-ब्याज दर जोखिम	779.21
-विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	5.51
-इक्विटी जोखिम	573.64
ग) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
<ul style="list-style-type: none"> मूल संकेतक दृष्टिकोण 	1107.51
घ) कुल व टियर I पूंजी अनुपात	
<ul style="list-style-type: none"> कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण फ्लोर के लागू होने पर) कुल टियर I पूंजी अनुपात (टियर I सीआरएआर) सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात 	9.66% 9.66% 7.75% 7.10%

तालिका डीएफ-3

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों को ऋण गुणवत्ता में हास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशतः बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के निवेश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबंधन के ज़रिए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग प्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव के गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। उद्योग जोखिम आंकड़े बाजार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो

गया। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टियर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अधीन / अंतर्गत ऋण प्रस्तावों की मंजूरी पर विचार करने के लिए बैंक ने तीन समितियों यथा ए) प्र.नि. व मु.का. अधि. की अध्यक्षता वाली ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) बी) कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-ईडी) तथा सी) प्रदत्त शक्तियों के साथ वरिष्ठतम महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-जीएम) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु प्रदत्त शक्तियों के साथ अंचल प्रमुख की अध्यक्षता में अंचल स्तरीय ऋण समितियों (जेडएलसीसी) तथा क्षेत्रीय प्रमुख की अध्यक्षता में क्षेत्र स्तरीय ऋण समितियों (आरएलसीसी) का गठन किया गया है। परिणामतः शाखा प्रमुखों से इतर कोई भी कार्यपालक वैयक्तिक स्तर पर ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है।



Quantitative disclosures	
a) Capital requirements for credit risk	
• Portfolios subject to standardised approach	14702.04
• Securitisation exposures	Nil
b) Capital requirements for market risk:	
Standardised duration approach	
- Interest rate risk	779.21
- Foreign Exchange risk (including gold)	5.51
- Equity risk	573.64
c) Capital requirements for operational risk	
• Basic indicator approach	1107.51
d) Total and Tier 1 capital ratio:	
• For the top consolidated group; and	
• Total Capital Ratio (CRAR)	9.66%
• Total CRAR (Subject to application of Prudential Floor)	9.66%
• Total Tier I Capital Ratio (Tier I CRAR)	7.75%
• Common Equity Tier-I Capital Ratio	7.10%

Table DF-3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counter party is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counter party risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management

process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by MD & CEO, (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCCED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCCGM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Zonal Level Credit Committees (ZLCC) headed by the Zonal Head and Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head have also been formed at all Zonal Offices and Regional Offices with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level.



बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अनुमोदन के लिए बोर्ड/ आरएमसीबी के समक्ष रखने के पहले, उनमें निहित जोखिम प्रकार पर आधारित केन्द्रीय कार्यालय स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा जांचे जाते हैं।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और प्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबंधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड/ आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। उधार नीति समिति (सीपीसी) बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेती है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोजर सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालती है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। ऋण नीति व उधार जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त बैंक ने निधि व निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि भी तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबंधन का अभिन्न भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की है जो बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों (पूँजी संगणना में), जिनमें बैंक का जोखिम निहित है, के प्रति एककथाम का काम करती हैं।

अनर्जक खातों का वर्गीकरण :

अनर्जक खातों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का बैंक पालन करता है।

(रु. करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण		2015-16
क	कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोजर, निधि आधारित	254018.62
	गैर निधि आधारित	23736.99
ख	प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण	
	• देशीय	
	निधि आधारित	155428.30
	गैर निधि आधारित	33605.53
	• विदेशी	
	निधि आधारित	17298.40
	गैर निधि आधारित	2592.84



The new products introduced by bank are examined by the head office level risk management committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB/Board for approval.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Policy Committee (CPC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

Classification of Non Performing Accounts:

The bank follows the prudential guidelines of RBI for classification of NPA accounts.

(Rs. in Crore)

Quantitative Disclosures	2015-16
a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based	254018.62
Non fund based	23736.99
b) Geographic distribution of exposures,	
• Domestic	
Fund based	155428.30
Non Fund based	33605.53
• Overseas	
Fund based	17298.40
Non Fund based	2592.84

Credit Monitoring/Loan Review/Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of Credit portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category and also to comply with the laid down norms and guidelines. The department is also micro monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages. Furthermore, the accounts are also monitored at different levels of authority depending upon the size of the exposure.

Credit Audit was revamped along with LRM and new Audit Report as CALRM was designed.

As per the revamped guidelines all accounts with total exposure of Rs.50.00 lacs and above are subjected to the CALRM Audit. The audit is conducted by the Concurrent Auditors of the Branch or from nearby Branches. Standalone Term Loans and accounts under consortium are also under the ambit of Credit Audit.

The process of CALRM audit is under progress. The Credit Audit exercise has helped the Bank to identify deficiencies / early warning signals of sickness / weakness in borrowal accounts and to take appropriate and timely remedial measures to prevent deterioration in the quality of advances and thereby to protect the interests of the Bank.

Classification of restructured accounts:

The bank has followed the prudential guidelines issued by the RBI in respect of classification and provisioning for restructured accounts from time to time.



ग	प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	संलग्न
घ	आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	संलग्न
ड.	एनपीए (सकल) की राशि	30048.63
	• अवमानक	12919.65
	• संदिग्ध (डी1, डी2, डी3)	21619.14
	• हानि	1982.78
च	निवल एनपीए	19212.57
छ	एनपीए अनुपात	
	• और सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	17.40%
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	11.89%
ज	एनपीए का प्रचालन (सकल)	
	• प्रारंभिक शेष	14922.45
	• जोड़	20998.38
	• घटाव	5872.20
	• अन्तिम शेष	30048.63
झ	एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचालन	
	• प्रारंभिक शेष	4457.20
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	7348.26
	• अत्यधिक प्रावधान बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन	2062.08
	• अन्तिम शेष	9743.38
ञ	अनर्जक निवेशों की राशि (बही मूल्य)	247.91
ट	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	158.16
ठ	निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव	
	• प्रारंभिक शेष	422.45
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	158.16
	• अत्यधिक प्रावधान बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन	143.87
	• अन्तिम शेष	436.74

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु. करोड़ में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि -3 म	3-6 म	6म -1 वर्ष	>1 से 3 वर्षों	> 3 से 5 वर्षों	> 5 वर्षों
12495.57	11563.14	5402.90	3985.67	33115.50	18668.38	29887.87	70957.82	22712.94	54519.86



c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross)	30048.63
• Substandard	12919.65
• Doubtful (D1, D2, D3)	21619.14
• Loss	1982.78
f) Net NPAs	19212.57
g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	17.40%
• Net NPAs to net advances	11.89%
h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance	14922.45
• Additions	20998.38
• Reductions	5872.20
• Closing balance	30048.63
j) Movement of provisions for NPAs	4457.20
• Opening balance	7348.26
• Provisions made during the period	2062.08
• Write off / Write back of excess provisions	9743.38
• Closing balance	247.91
k) Amount of Non-Performing Investments (Book Value)	158.16
l) Amount of provisions held for non-performing investments	
m) Movement of provisions for depreciation on investments	
• Opening Balance	422.45
• Provisions made during the period	158.16
• Write-off / Write-back of excess provisions	143.87
• Closing Balance	436.74

Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. in Crore)

Day 1	2-7D	8-14D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1Year	>1 to 3 years	>3 to 5 years	>5 years
12495.57	11563.14	5402.90	3985.67	33115.50	18668.38	29887.87	70957.82	22712.94	54519.86



उद्योगवार एक्सपोज़र

(रु.करोड़ों में)

उद्योग का नाम	बकाया
खान व क्वेरियिंग	1854.29
खाद्य प्रसंस्करण	2580.31
उनमें से चीनी	1059.84
उनमें से खाद्य तेल और वनस्पति	1108.90
उनमें से चाय	41.47
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	565.27
सूती वस्त्र उद्योग	3388.59
जूट वस्त्र उद्योग	68.82
हस्तशिल्प / खादी (गैर प्राथमिक)	198.31
अन्य वस्त्र उद्योग	2043.87
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	490.21
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	248.46
कागज और कागज उत्पाद	1936.02
पेट्रोलियम (गैर -इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर -खनिज) एवं नाभिकीय ईंधन	420.70
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेन्ट्स आदि)	2138.06
उनमें से उर्वरक	204.75
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	710.97
उनमें से अन्य	1222.34
रबर प्लास्टिक और रबर उत्पाद	1126.24
ग्लास और ग्लासवेयर	98.49
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1527.10
लौह एवं स्टील	11983.77
अन्य धातु व धातु उत्पाद	2760.30
सभी इन्जीनियरिंग	4991.48
उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	368.56
वाहन ,वाहन के भाग, परिवहन साधन	3235.71
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	1055.75
निर्माण	856.43
इन्फ्रास्ट्रक्चर	25371.99
उसमें से रोडवेज़	7906.17
उसमें से ऊर्जा	14349.18
उनमें से दूर संचार	1462.37
अन्य उद्योग	568.30
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिम	103218.23
उनमें से उड्डयन क्षेत्र को	1480.47
कुल ऋण और अग्रिम	172726.70

**INDUSTRY WISE EXPOSURES**

Industry Name	Outstanding
Mining and quarrying	1854.29
Food Processing	2580.31
Of which Sugar	1059.84
Of which Edible Oils and Vanaspati	1108.90
Of which Tea	41.47
Beverages and Tobacco	565.27
Cotton Textiles	3388.59
Jute Textiles	68.82
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	198.31
Other Textiles	2043.87
Leather and Leather Products	490.21
Wood and Wood Products	248.46
Paper and Paper Products	1936.02
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	420.70
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	2138.06
Of which Fertilisers	204.75
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	710.97
Of which Others	1222.34
Rubber, Plastic and their products	1126.24
Glass & Glassware	98.49
Cement and Cement Products	1527.10
Iron and Steel	11983.77
Other Metal and Metal Products	2760.30
All Engineering	4991.48
Of which Electronics	368.56
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3235.71
Gems and Jewellery	1055.75
Construction	856.43
Infrastructure	25371.99
Of which Roadways	7906.17
Of which Energy	14349.18
Of which Telecommunications	1462.37
Other Industries	568.30
Residuary Other Advances to balance Gross Advances	103218.23
Of which Aviation Sector	1480.47
Total Loans and Advances	172726.70



तालिका डी एफ-4

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बेसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूंजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

मानकीकृत उपागम के तहत क्रेडिट जोखिम हेतु पूंजी की गणना के लिए व्यक्तिगत / प्रत्येक ऋणों को लिया गया है जहाँ पर एक्सपोजर पूरी तरह से प्रतिभूतित हैं जैसे आभूषण ऋण, सावधिक जमाएं/ उपलब्ध जीवन बीमा पॉलिसी इत्यादि, चूंकि उच्च लाभप्रदता के कारण उचित मार्जिन लागू करने के बाद न्यूनीकरण उपलब्ध एक्सपोजर से होता है इसलिए ये लोन उपलब्ध उधार जोखिम शामक (सीआरएम) के विरुद्ध पूर्णतः नेटोड होते हैं।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कॉर्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोजर को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को छः देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि. (सीएआरई), क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) लि. और इकरा लि., ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूंजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है। तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूंजी की गणना में नहीं लिया जाता है।

बैंक पूंजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सॉलिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है। उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त इसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता है। 15 महीनों के

दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोजर का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खतों के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया जाए। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खतों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता। तदनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोजर रेटिंग को कॉर्पोरेट और पीएसई के तहत 31.3.2016 तक लिया है।

कॉर्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोजर के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। उधारकर्ताओं द्वारा अपने कारोबार विकास के लिए बाहरी रेटिंग को अवसर के रूप में विचार करना चाहिए।



Table DF-4

**CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS
SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH**

Qualitative disclosures:

General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel II Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, individual exposures are captured. Where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies etc, these loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), as the mitigation higher than the exposure is available after applying the applicable hair cut due to higher margin prescription.

External Credit Ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of six domestic ECRA's viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRA's for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can

approach any one or more of the above ECRA's for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRA's the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating:

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRA's while computing the capital for credit risk as on 31.3.2016 under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRA's are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.



प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	101664.35	14542.38	87121.97
100% जोखिम भार	93302.07	10569.80	82732.26
100% जोखिम भार से अधिक	22716.30	1881.84	20834.46
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	217682.72	26994.02	190688.69
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	25474.15	78.65	25395.50
100% जोखिम भार	8386.51	0.00	8386.51
100% जोखिम भार से अधिक	52.32	0.00	52.32
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	33912.98	78.65	33834.33

तालिका डीएफ - 5

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यतः स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा/रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन/प्रबंधन भी हो।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण/आभूषण, किसान विकास पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिट, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं। बैंक ने अचल संपत्तियाँ और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अतः पात्र

वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), जो भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूंजी गणना निवल उधार एक्सपोजर के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियां:

आगे उधार जोखिम पूंजी के परिकलन में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम:

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियाँ व प्रक्रिया उपलब्ध हैं। उधार जोखिम को कम



Quantitative Disclosures

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	101664.35	14542.38	87121.97
100% risk weight	93302.07	10569.80	82732.26
More than 100% risk weight	22716.30	1881.84	20834.46
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	217682.72	26994.02	190688.69
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	25474.15	78.65	25395.50
100% risk weight	8386.51	0.00	8386.51
More than 100% risk weight	52.32	0.00	52.32
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	33912.98	78.65	33834.33

Table DF-5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, Kisan Vikas Patras, Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value

ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b) gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on-balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discouted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of



करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं कि गई है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोजर (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है ।	17819.84
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	13.93
बैंक - अनुसूची(आइ.एन.आर.)	0.00
एफ सी वाइ में विदेशी बैंकों के दावे	0.00
कॉर्पोरेट	2758.38
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	9572.79
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	30.88
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	114.05
उपभोक्ता ऋण	4954.19
पूँजी बाजार एक्सपोजर	0.69
एन बी एफ सी	25.79
वेंचर पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.29
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	115.66
अन्य आस्तियाँ - स्टाफ ऋण	47.10
अन्य आस्तियाँ	124.30
पुनर्संचित खाते	28.54
सी.आर.ई. आरएच द्वारा सुरक्षित दावे	33.06
पुनर्संचित आवास ऋण	0.19

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु करोड़ में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए, एक्सपोजर (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों / उधार डेरिवेटिव से कवर हों (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत किया जाए)	9311.96
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	3665.92
कॉर्पोरेट	2464.51
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	2095.25
पुनर्संचित	1021.72
पूँजी बाजार ऋण	0.00
सीआरई	47.24
सीआरई -आरएच	17.32



mitigants the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any

concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	17819.84
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Entities	13.93
Banks – Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank claims in FCY	0.00
Corporates	2758.38
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	9572.79
Claims secured by Residential Property	30.88
Claims secured by Commercial Real Estate	114.05
Consumer Credit	4954.19
Capital Market Exposure	0.69
NBFC	25.79
Venture Capital	0.00
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.29
Non Performing Assets – b) Others	115.66
Other Assets – Staff Loans	47.10
Other Assets	124.30
Restructured Accounts	28.54
Claims secured by C.R.E-RH	33.06
Restructured Housing Loan	0.19

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	9311.96
Public Sector Entities	3665.92
Corporates	2464.51
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	2095.25
Restructured	1021.72
Capital Market Exposure	0.00
CRE	47.24
CRE-RH	17.32



तालिका डीएफ 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा
- प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है।
 - प्रतिभूत आस्ति में निहित अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदाहरणार्थ लिक्विडिटी जोखिम)
 - प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिका (उदाहरणार्थ ओरिजिनेटर, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण बढ़ोत्तरी प्रदाता, लिक्विडिटी प्रदाता, स्वैप प्रदाता, प्रतिरक्षा प्रदाता) और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का सूचक
 - प्रतिभूतिकरण ऋण के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरणार्थ किस प्रकार अन्डरलाइंग आस्ति प्रतिभूतिकरण ऋण को प्रभावित करता है जैसा कि एन सी ए एफ के मास्टर परिपत्र दिनांकित 1 जुलाई 2009 के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है।)
 - प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के माध्यम से बनाए रखे गए जोखिम के शमन करने के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का वर्णन

ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार

- क्या लेन देन को बिक्री या वित्तपोषण के तौर पर माना जाता है
- रखी गई या खरीदी गई स्थिति का मूल्यांकन करने लागू प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाएं (इनपुट सहित)
- पिछली अवधि से प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाओं में परिवर्तन और परिवर्तन का प्रभाव
- बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के लिए तुलन पत्र पर देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां

ग) प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ई सी ए आइ के नाम, बैंकिंग बही में और प्रतिभूतिकरण ऋण के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी प्रयुक्त हुई हो।

बैंकिंग बही में प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत जोखिम की कुल राशि

ङ) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार (अंडरलाइंग प्रतिभूति द्वारा वर्णित उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग ऋण, ऑटो ऋण आदि) द्वारा काट दिया गया हो

च) एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण हेतु आस्ति की रकम

छ) (च) में से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष में उत्पन्न आस्ति की रकम

ज) एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटे गए ऑफ बैलेस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटे गए खरीद या रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम

झ) रखे गए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल मात्रा व संबंधित पूंजी प्रभार, एक्सपोजर के बीच काटे गए और आगे प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम वेट बैण्ड में काटे गए

*टियर I से पूर्णतः काटे गए एक्सपोजर कुल पूंजी (एक्सपोजर प्रकार से) काटे गए उधार बढ़ोत्तरी आइ / ओ

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।

लागू नहीं



Table DF 6
SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures	
<p>a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:</p> <ul style="list-style-type: none">· The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.· The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets· The various roles played by the bank in securitisation process (for example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider, protection provider) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;· A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular of NCAF dated July 1, 2009);· A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposure; <p>b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:</p> <ul style="list-style-type: none">· Whether the transactions are treated as sales or financings;· Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased.· Change in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;· Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets; <p>c) In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</p>	<p>No securitisation for the year ended 31.03.2016</p>
<p>Quantitative Disclosures in Banking Book</p> <p>d) Total amount of exposures securitized by the bank.</p> <p>e) For exposures securitized losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, Housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security)</p> <p>f) Amount of assets intended to be securitized within a year.</p> <p>g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitization.</p> <p>h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.</p> <p>i) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.</p> <p>j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.</p> <p>* Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital (by exposure type).</p>	<p>Not applicable</p>



प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बही

अ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा जिसके लिए बैंक ने एक्सपोजर रखा था और जो एक्सपोजर प्रकार द्वारा मार्केट रिस्क एप्रोच के अधीन है।

ट) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :

- रखा गया या खरीदा गया ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो
- आफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो

ठ) निम्नलिखित के लिए अलग से खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा

- रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन हो और
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विभिन्न रिस्क वेट बैंड में काटे गए विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण प्रेमवर्क के अधीन हो

ड) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूंजी अपेक्षा जो विभिन्न रिस्क वेट बैंड में काटे गए प्रतिभूतिकरण प्रेमवर्क के अधीन हो
- टियर I पूंजी से पूरी तरह से काटे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, कुल पूंजी से काटे गए आइ / ओ उधार बढ़ोत्तरी और अन्य कुल पूंजी (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) से काटे गए अन्य एक्सपोजर

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।

तालिका डीएफ - 7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा इक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूंजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निधि प्रबंधन व निवेश नीति, व्युत्पन्न नीति हैं फोरेक्स परिचालन व तनाव परीक्षण नीति के लिए जोखिम प्रबंधन नीति है। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम प्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबंधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति

देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए रिपोर्टिंग प्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन प्रेमवर्क का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डाटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विश्लेषण के जरिए किया जाता है। अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक ओवरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से आलको(एएलसीओ) में रखा जाता था। हालाँकि भा.रि.बैं. के मार्च 2013 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार तरलता जोखिम की संगणना की जाती है तथा भा.रि.बैं. को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाता है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाता है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु पहले चार बकेट के लिए भारिबैं द्वारा और विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय बकेट्स के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किया जाता है। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेजरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।



Quantitative Disclosure: Trading Book

- k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank had retained sum exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type.
- l) Aggregate amount of:
 - On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and
 - Off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.
- m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:
 - Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk Measure for specific risk; and
 - Securitisation exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.
- n) Aggregate amount of:
 - the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.
 - Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

No securitisation for the year ended 31.03.2016

Table DF-7

Market Risk in Trading Book:

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk

and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy, specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.



ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (ड्यूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। शोयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति (नीति में निर्धारितानुसार) के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा ड्यूरेशन गैप आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल 1। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकल्पित की है। 31.03.2015 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारत आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	9740.15	779.21
इक्विटी स्थिति जोखिम	7170.50	573.64
विदेशी विनिमय जोखिम	68.83	5.51
कुल	16979.48	1358.36

तालिका डीएफ - 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालनात्मक जोखिम :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं हैं।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम कारोबार तथा विपदा पुनःप्राप्ति योजना (बीसी-डीआरपी) (ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/ कम करने और भौतिक परिचालनात्मक

हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ़ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियाँ व प्रक्रियाएँ बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। उचित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण मैनुअल हैं। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। उधार, फोरेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियाँ हैं और कर्मियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग "अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। हर शाखा/ विभाग/ कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियाँ तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूँजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूँजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹. करोड़ में)

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम वेटेड आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले 3 वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	1107.51	13843.93

तालिका डीएफ - 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (अर्जन परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि आर्थिक मूल्य



Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

Quantitative Disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2015 in trading book of the bank is as under:

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	9740.15	779.21
Equity position risk	7170.50	573.64
Foreign exchange risk	68.83	5.51
TOTAL	16979.48	1358.36

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk:

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the bank are

managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/office to monitor the level of compliance. Methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

Quantitative disclosures

(Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1107.51	13843.93

Table DF – 9: Interest rate risk on the Banking Book:

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective.



परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। देशी परिचालनों हेतु आय पर प्रभाव को एक वर्ष की अवधि के दौरान बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 25 बीपीएस से 200 बीपीएस तक कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के निवल ब्याज आय के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, देशी परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 200 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के निवल ब्याज आय (एनआईआई) के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विश्लेषण को अंतराल जीएपी विश्लेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की एक वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है। दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार

संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी, कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है। जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है। गैर परिपक्व जमाओं के मामले में, ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एस ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता 5 प्रतिशत या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर गणना की जाती है।

भा.रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तिमाही विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियां माह के अंत से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाती हैं।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आई आई) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ई.वी.ई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2016 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर)	
		31/03/2016	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	192.50 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 3%)	144.18	114.79
0.50% परिवर्तन	385.00 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 6%)	288.36	229.58
0.75% परिवर्तन	577.50 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 9%)	432.54	344.37
1.00% परिवर्तन	770.00 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 12%)	576.72	459.16
2.00% परिवर्तन	1540.00 (पिछले वर्ष के एन आई आई का 24%)	1153.44	918.32
इक्विटी का आर्थिक मूल्य			31.03.2016
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)			0.1556%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा			(+/-)1.00%
इक्विटी की बाजार मूल्य (एमवीइ)			
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए इक्विटी में घटाव			-5.5000%



The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock ranging from 25bps to 200bps as prescribed in the bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and in absolute terms and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the midpoint of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 200 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year's Net Interest Income (NII) duly approved by Board.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duration is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2016 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2016	
		Up to 1 year	Up to 5 year
0.25% change	192.50 (3% of NII of previous year)	144.18	114.79
0.50% change	385.00 (6% of NII of previous year)	288.36	229.58
0.75% change	577.50 (9% of NII of previous year)	432.54	344.37
1.00% change	770.00 (12% of NII of previous year)	576.72	459.16
2.00% change	1540.00 (24% of NII of Previous year)	1153.44	918.32
ECONOMIC VALUE OF EQUITY			31.03.2016
Modified Duration Gap (DGAP)			0.1556%
Limit as per ALM Policy			(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)			
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value			-5.5000%



सारणी डीएफ -10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

काउंटरपार्टी सीमा को निर्धारित करते समय निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय तथा गैर वित्तीय मानदंडों पर विचार किया जाता है।

वित्तीय/ गैर वित्तीय मानदंड	विवरण
वित्तीय ए. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)	10% तथा उससे अधिक सीएआर वाले बैंक को अधिकतम 25% भारांक दिया जाता है तथा 8% से कम वालों को 0% दिया जाता है। 6% से कम सीएआर वाले बैंकों को 25% के छूट घटक दिए जाते हैं जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिए जाते हैं।
बी. आस्तियों पर रिटर्न (आरओए)- लाभप्रदता	1.10 या उससे अधिक आरओए वाले बैंकों को अधिकतम 20% भारांक दिया जाता है तथा 0.15% से कम आरओए वालों को 0%।
सी. सकल एनपीए/ निवल एनपीए - आस्ति गुणवत्ता	3.00% से कम सकल एनपीए (विदेशी बैंकों के लिए)/ निवल एनपीए (भारतीय बैंकों के लिए) वाले बैंकों को अधिकतम 20% का भारांक दिया जाता है तथा 9.00% या उससे अधिक सकल एनपीए/ निवल एनपीए वालों को शून्य भारांक दिया जाता है। 15% से अधिक सकल एनपीए/ निवल एनपीए वाले बैंकों को 20% का छूट घटक दिया जाता है जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिया जाता है। हालांकि यह सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (जिनमें अधिकतर शेयरधारिता सरकार की हो) पर लागू नहीं होगी।
डी. बाहरी एजेंसियों की रेटिंग (मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस अथवा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स)	स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज अथवा फिच तथा भारत में क्रिसिल, आईसीआरए, केयर या ब्रिकवर्क्स जैसी घरेलू रेटिंग एजेंसियों पर काउंटरपार्टी सीमा प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है। उच्चतम/ उच्च गुणवत्ता/ अपवादात्मक/ उत्कृष्ट ग्रेड की रेटिंग वाले बैंकों को 25% का अधिकतम भारांक दिया जाता है तथा बिना रेटिंग वाले बैंकों को शून्य भारांक दिया जाता है। भारत के अधिकांश बैंक अपने टियर II जारीकरण, विदेशों में उधारी के लिए भारत अथवा विदेशों में रेटिंग एजेंसियों से खुद ही अपनी रेटिंग करवाती हैं। हालांकि, हो सकता है कि कुछ बैंकों की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग नहीं हो। इस प्रकार के बैंकों को काउंटरपार्टी सीमाओं का मूल्यांकन करते समय केवल 5% का भारांक दिया जाता है। जहाँ भी दोनों रेटिंग उपलब्ध हैं, कम वाले को ही माना जाएगा और तदनुसार भारांक दिया जाता है।
इ. पूर्ण निबंधनों में टियर I पूंजी	काउंटर पार्टि बैंक के कुल मूल्य के संबंध में अनुमानित जोखिम की प्रमात्रा कुल मूल्य के 15% से 50% के बीच होगी।
गैर वित्तीय पारस्परिक कारोबार/ संबंधित सरकार सरकार समर्थित बैंक/ भारतीय सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक समावेशन का देश	उक्त पाँच प्रमुख वित्तीय मानदंडों के साथ ही काउंटर पार्टि बैंक पर निर्णय देते समय कई अन्य प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। उनमें से प्रमुख हैं क) स्वामित्व संरचना का व्यापकता व स्वरूप ख) प्रबंधन क्षमता ग) अन्य बैंकों से आपसी तुलना घ) अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व तथा ङ.) समावेशन / विनियामक परिवेश का देश। कुछ बैंक ऐसे हैं जहाँ बैंक को वित्तीय मानदंडों के आधार की बजाए उनके संबंध, पारस्परिक व्यवस्था, कारोबार विचारों, भारतीय शाखाओं, ओवरसीज़ केंद्रों आदि से अनुरोधों के आधार पर सीमाओं पर विचार करना है। जहाँ भी आवश्यक लगे, सरकार समर्थित बैंकों/ भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों/ सक्रिय संवादी बैंकों के लिए 0% से 10% के बीच भारांक पर विचार किया जा सकता है।



Table DF – 10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosure:

The following key financial and non-financial parameters are taken into consideration while fixing counter party limits.

FINANCIAL/NON FINANCIAL PARAMETERES	DETAILS
a)Capital Adequacy Ratio (CAR)	Banks with CAR of 10% and above are assigned maximum weightage of 25% and below 8% is assigned 0%. Banks with CAR of less than 6% are assigned with discount factors of 25% that will be deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits.
b)Return on Assets (ROA)- Profitability	Banks with ROA of more than or equal to 1.10 are assigned maximum weightage of 20% and the ROA less than 0.15% are assigned as 0%.
c)Gross NPA/Net NPA – Asset Quality	Banks with Gross NPA (for Foreign Banks)/Net NPA (for Indian Banks) of less than 3.00% are assigned Maximum weightage of 20% and the Gross NPA/Net NPA more than or equal to 9.00% are assigned zero Weightage. Banks with Gross NPA/Net NPA more than 15% are assigned with discount factors of 20% that is deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits. However, this will not be applicable to Banks owned by Govt. (Government holding majority share)
d)External Agencies Ratings (Moody Investors Service or Standard & Poor's)	<p>Ratings of Standard & Poor's, Moody's or Fitch and domestic rating agencies like CRISIL, ICRA, CARE of Brickworks in India are considered for arriving at the counter party limits. Banks rated with the highest/high quality /Exceptional/ Excellent grade are assigned a maximum weightage of 25% and the unrated shall have a zero weightage.</p> <p>Most of the Banks in India get themselves rated by rating agencies in India or abroad for their Tier II issuances, borrowing abroad. However, some banks may not have any rating at all by recognized rating agencies. Such banks will be assigned a weightage of only 5% while assessing counter party limits.</p> <p>Wherever both the ratings are available, lower one will be reckoned and the weightage is assigned accordingly.</p>
e)Tier One Capital in Absolute Terms	Quantum of exposure assumable in relation to the net-worth of a counter party bank ranges from 15% to 50% of net worth.
<p>NON FINANCIAL Reciprocal Business/Relationship/Govt Supported Banks/Indian Public/Private sector banks Country of Incorporation</p>	<p>In addition to the above five key financial parameters there are many other key parameters assessed while forming judgment on the counter party bank. The important among them are a) The spread and nature of the ownership structure b) Management Ability c) Peer comparison d) Importance of the Bank in the Economy and e) country of incorporation / Regulatory environment.</p> <p>There are some banks where bank has to consider limits not based on the financial parameters but simply based on their relationship, reciprocal arrangements, business considerations, requests from Indian branches, overseas centres, etc.,</p> <p>Wherever deemed necessary, the weightage ranging from 0% to 10% shall be considered for Govt. supported banks/Indian Private sector banks/Active correspondent Banks.</p>



गुणात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

संख्या	ब्यौरे	अनुमानित राशि	एमटीएम	कुल वर्तमान ऋण जोखिम
1	व्युत्पन्न	165.39	7.50	13.94
2	ब्याज दर संविदा/ स्वैप	6901.62	80.57	149.22
3	वायदा खरीद/ बिक्री संविदा	36258.9	260.5	889.07
5	ऋण व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य
6	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य	शून्य

सारणी डीएफ -11: पूँजी की संघटना :

भाग I : केवल मार्च 31, 2017 से प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट: लागू नहीं

भाग II : केवल मार्च 31, 2017 से पहले प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट

(अर्थात् बेसल III विनियामक समायोजन की संक्रमण अवधि के दौरान)

विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयुक्त होने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017)			बेसल III प्रतिपादन पूर्व के
सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ			अधीन राशियाँ
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष(शेयर प्रीमियम)	8291.85	8291.85
2	प्रतिधारित आय	7425.91	7425.91
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	1704.47	1704.47
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अर्धन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00
	1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूँजी को पोषण	0.00	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी	17422.22	17422.22
	सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)		
9	बंधक सेवा अधिकारों से इतर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	3387.16	3387.16
10	आस्थगित कर आस्तियाँ 2	0.00	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित		
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी		
13	व्यय पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि		
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)		
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	50.89	0.00



Quantitative Disclosure

No.	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposures
1	Derivatives	165.39	7.50	13.94
2	Interest Rates Contracts/ Swaps	6901.62	80.57	149.22
3	Forward Purchase/Sales Contract	36258.90	260.50	889.07
4	Credit Derivatives	Nil	Nil	Nil
5	Credit Default Swaps	Nil	Nil	Nil

Table DF – 11: Composition of Capital

Part I : Template to be used only from March 31,2017 : Not Applicable

Part II : Template to be used before March 31,2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)		8291.85	8291.85
2	Retained earnings		7425.91	7425.91
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)		1704.47	1704.47
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)		0.00	0.00
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018		0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		0.00	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments		17422.22	17422.22
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments			
8	Goodwill (net of related tax liability)			
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)		3387.16	3387.16
10	Deferred tax assets2		0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve			
12	Shortfall of provisions to expected losses			
13	Securitisation gain on sale			
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities			
15	Defined-benefit pension fund net assets		0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)			
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		50.89	0.00



18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10 % से अधिक नहीं रखता है (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश		
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों का निवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)3	0.00	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार 4 (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	5 अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	197.07	197.07
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि 6	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन7 (26क+26ख+26ग+26घ)	0.00	0.00
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26बी	जिसमें से: समेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों 8 की इक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक 9 द्वारा नहीं हुआ है, की इक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00
	बेसल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन		
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरे] उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अनुपलब्ध हानियों को बाहर करना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक)		
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरे] जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरे]		
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर I तथा टियर II के कारण सामान्य इक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00
28	सामान्य इक्विटी टियर I पर कुल विनियामक समायोजन	3635.13	3584.24
29	सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी (सीईटी 1) अतिरिक्त टियर I पूँजी: लिखत	13787.10	13837.10
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर I लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	1348.00	1780.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	1348.00	1780.00



18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold) ³	0.00	0.00
20	Mortgage servicing rights ⁴ (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences ⁵ (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	197.07	197.07
22	Amount exceeding the 15% threshold ⁶	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments ⁷ (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries ⁸	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank ⁹	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	3635.13	3584.24
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	13787.10	13837.99
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	1348.00	1780.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	1348.00	1780.00



33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	1348.00	1780.00
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	75.00	75.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	20.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0.00	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल) 10	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश	0.00	0.00
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
	बेसल III से पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	0.00
	जिनमें से : [समायोजन का प्रकार यानि डीटीए डालें]		
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार डालें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर I से घटाया गया है]		
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार डालें]		
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	95.00	75.00
44	अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)	1253.00	1705.00
44ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचान की गई अतिरिक्त टियर I पूँजी	1253.00	1705.00
45	टियर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44ए)	15040.10	15542.99
	टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान		
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	1094.00	1094.00
47	टियर 2 से बाहर होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	1579.38	2632.30
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान 12	1105.76	1105.76
51	विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी	3779.14	4832.06



33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	1348.00	1780.00
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	75.00	75.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	20.00	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions) ¹⁰	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	0.00
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]		
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	95.00	75.00
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	1253.00	1705.00
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy¹¹	1253.00	1705.00
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44a)	15040.10	15542.99
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	1094.00	1094.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1579.38	2632.30
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	
50	Provisions ¹²	1105.76	1105.76
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	3779.14	4832.06



टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन			
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	55.00	55.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश 13 (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0	
56ए	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0	
56बी	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	
	बेसल III से पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0	0
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर 2 से घटाया गया है]	0	0
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	0	0
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	55.00	55.00
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	3724.14	4777.06
58ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचानी गई टियर 2 पूँजी	3724.14	4777.06
58बी	टियर 2 पूँजी के लिए पहचानी गई बहुतायत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00	0.00
58सी	पूँजी पर्याप्तता (58क + 58ख)के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूँजी	3724.14	4777.06
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58ग)	18764.24	20320.05
	बेसल III पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर जोखिम भारांक वाली आस्तियों के संबंध में राशि	70.89	
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	70.89	
	जिनमें से:	0	
60	कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियाँ (60क + 60ख + 60ग)	194174.44	
60ए	जिनमें से: कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियाँ	163351.03	
60बी	जिनमें से: कुल बाजार जोखिम भारांक वाली आस्तियाँ	16979.48	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियाँ	13843.93	
	पूँजी अनुपात		
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.10%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.75%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.66%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	6.125%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	



	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	55.00	55.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments ¹³ in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	55.00	55.00
58	Tier 2 capital (T2)	3724.14	4777.06
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy¹⁴	3724.14	4777.06
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00	
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	3724.14	4777.06
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	18764.24	20320.05
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	70.89	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	70.89	
	of which: ...	0	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	194174.44	
60a	of which: total credit risk weighted assets	163351.03	
60b	of which: total market risk weighted assets	16979.48	
60c	of which: total operational risk weighted assets	13843.93	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.10%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.75%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	9.66%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.125%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	



66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	0	
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.98%	
	राष्ट्रीय न्यूनता (बेसल III से भिन्न होने पर)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
	कठौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थायी अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ		
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सी.ए.पी. लागू करने के पूर्व)	1105.76	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सी.ए.पी.	2427.18	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सी.ए.पी. लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सी.ए.पी.	लागू नहीं	
	फेज आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत (मार्च 31, 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू)		
80	फेज आउट व्यवस्था के अधीन सीडटी1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	सी.ए.पी. के कारण देय सीडटी1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सी.ए.पी. से अधिक राशि)	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सी.ए.पी.	348	
83	सी.ए.पी. को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सी.ए.पी. से अधिक राशि)	432	
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सी.ए.पी.	1579.38	
85	सी.ए.पी. को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सी.ए.पी. से अधिक राशि)	1052.92	

टेम्पलेट पर नोट

(रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	1595.49
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग	0.00



67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.98%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1105.76	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	2427.18	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	348	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	432	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	1579.38	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	1052.92	

Notes to the Template

(Rs. in Crore)

Row No. of the template	Particular	
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	1595.49
	Total as indicated in row 10	0



19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10% की सीमा पर विचार किया गया है, बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की इक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0
	(I) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0
44ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 44 में रिपोर्ट किए गए अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूँजी तथा 44 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार अनुमत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में अंतर)	0
	जिसमें से: क्रम 58 बी के तहत टियर 2 पूँजी के रूप में मानी गई अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी।	0
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1105.76
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0
	क्रम 50 का कुल	1105.76
58ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक टियर 2 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 58 में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 पूँजी तथा 58 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 में अंतर)	0

सारणी डीएफ - 12: पूँजी समाधान आवश्यकताओं का संघटन

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग तारीख तक	रिपोर्टिंग तारीख तक
ए	पूँजी तथा देयता		
i	प्रदत्त पूँजी	1807.27	1807.27
	आरक्षित तथा अधिशेष	13858.55	13858.55
	अल्पमत ब्याज	0	0
	कुल पूँजी	15665.82	15665.82
ii	जमाएँ	224514.24	224514.24
	जिसमें से: बैंकों से जमा	20.25	20.25
	जिसमें से: ग्राहक जमा	224493.99	224493.99
	जिसमें से: अन्य	0	0
iii	उधार	27183.31	27183.31
	जिसमें से: आरबीआई से	0	0
	जिसमें से: बैंक से	9694.33	9694.33
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	10936.68	10936.68
	जिसमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0	0
	जिसमें से: पूँजी लिखत	6552.30	6552.30
iv	अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	7073.40	7073.40
	कुल	274436.77	274436.77



19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0
	of which: Increase in Tier 2 capital	0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0
	(ii) Increase in risk weighted assets	0
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1105.76
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0
	Total of row 50	1105.76
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0

Table DF – 12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements

		Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid up Capital	1807.27	1807.27
	Reserves and Surplus	13858.55	13858.55
	Minority Interest	0	0
	Total Capital	15665.82	15665.82
ii	Deposits	224514.24	224514.24
	of which : Deposit from Banks	20.25	20.25
	of which : customer deposits	224493.99	224493.99
	of which : Others	0	0
iii	Borrowings	27183.31	27183.31
	of which : From RBI	0	0
	of which : From bank	9694.33	9694.33
	of which : from other institutional & agencies	10936.68	10936.68
	of which : Others(pl .Specify)	0	0
	of which : Capital instruments	6552.30	6552.30
iv	Other liabilities and provisions	7073.40	7073.40
	Total	274436.77	274436.77



बी	आस्तियाँ		
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	14033.49	14033.49
	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	8212.74	8212.74
ii	निवेश	79189.56	79189.56
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	66546.67	66546.67
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3.11	3.11
	जिसमें से: शेयर	1446.54	1446.54
	जिसमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	8523.57	8523.57
	जिसमें से: जिसमें से अनुषंगियों/ संयुक्त उपक्रम/ सहयोगी	199.58	199.58
	जिसमें से: अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	2470.09	2470.09
iii	ऋण तथा अग्रिम	160860.67	160860.67
	जिसमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	462.83	462.83
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	160397.84	160397.84
iv	अचल आस्तियाँ	3270.47	3270.47
v	अन्य आस्तियाँ	8869.84	8869.84
	जिसमें से: साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	0	0
vi	समेकन पर साख	0	0
vii	लाभ व हानि खाते में ऋण शेष	0	0
	कुल	274436.77	274436.77

(रु. करोड़ में)

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट का निष्कर्ष (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ 11 (भाग I/ भाग II, जो भी लागू हों)		
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखित तथा आरक्षित	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी सहित संबंधित स्टॉक	8291.85
2	प्रतिधारित आय	7425.91
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	1704.47
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) सामान्य शेयर पूंजी	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	17422.22
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00
8	साख(संबंधित कर देयता का निवल)	0.00



B	Assets		
I	Cash and Balances with Reserve Bank of India	14033.49	14033.49
	Balance with bank and money at call and short notice	8212.74	8212.74
II	Investments	79189.56	79189.56
	of which : Government Securities	66546.67	66546.67
	of which : Other approved securities	3.11	3.11
	of which : shares	1446.54	1446.54
	of which : Debentures & Bonds	8523.57	8523.57
	of which : Subsidiaries/joint Venture/Associates	199.58	199.58
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	2470.09	2470.09
iii	Loans and advances	160860.67	160860.67
	of which : Loans and advances to banks	462.83	462.83
	of which : Loans and advances to customers	160397.84	160397.84
iv	Fixed assets	3270.47	3270.47
v	Other assets	8869.84	8869.84
	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	0	0
vi	Goodwill on consolidation	0	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	0
	Total	274436.77	274436.77

(Rs. in Crore)

	Extract of Basel III common disclosure template (with added column)- Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)	
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve	
		Component of regulatory capital reported by bank.
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	8291.85
2	Retained Earning	7425.91
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1704.47
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	17422.22
7	Prudential valuation adjustment	0.00
8	Goodwill(net of related tax liability)	0.00



तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के प्रकटीकरण टेपलेट

		निम्न टियर II शृंखला IX	निम्न टियर II शृंखला XI	निम्न टियर II शृंखला XII	निम्न टियर II शृंखला XIII	निम्न टियर II शृंखला XIV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09090	आइएनई565 ए09132	आइएनई565 ए09165	आइएनई565 ए09181	आइएनई565 ए09215
3	लिखत के अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	<i>विनियामक व्यवहार</i>					
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत	टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि पर)	0.00	0.00	120.00	174.20	800.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	09.01.2006	26.07.2006	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	09.04.2016	26.07.2016	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 250	शून्य, शून्य, 500	शून्य, शून्य, 300	शून्य, शून्य, 290	शून्य, शून्य, 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	<i>कूपन / लाभांश</i>					
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य



Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II SERIES IX	Lower Tier II SERIES XI	Lower Tier II SERIES XII	Lower Tier II SERIES XIII	Lower Tier II SERIES XIV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09090	INE565 A09132	INE565 A09165	INE565 A09181	INE565 A09215
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment					
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	0.00	0.00	120.00	174.00	800.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	09.01.2006	26.07.2006	22.08.2008	24.08.2009	31.12.2010
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	09.04.2016	26.07.2016	22.08.2018	24.08.2019	31.12.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 250	nil, nil, 500	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends					
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory

21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रूपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार, जिसमें संपरिवर्तनीय है, उसे विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, अवलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है



21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

		उच्च टियर II शृंखला I	उच्च टियर II शृंखला II	उच्च टियर II शृंखला III	उच्च टियर II शृंखला IV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09140	आइएनई565 ए09173	आइएनई565 ए09199	आइएनई565 ए09223
3	लिखतों के अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	<i>विनियामक व्यवहार</i>				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पत्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	उच्च टियर II ऋण लिखत	उच्च टियर II ऋण लिखत	उच्च टियर II ऋण लिखत	उच्च टियर II ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि पर)	300.00	393.18	306.00	580.20
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016 शून्य, 500	17.09.2018 शून्य, 655.30	01.09.2019 शून्य, 510	10.01.2021 शून्य, 967
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	<i>कूपन / लाभांश</i>				
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य



Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Upper Tier II SERIES I	Upper Tier II SERIES II	Upper Tier II SERIES III	Upper Tier II SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09140	INE565 A09173	INE565 A09199	INE565 A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II debt instruments	Upper Tier II debt instruments	Upper Tier II debt instruments	Upper Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	300.00	393.18	306.00	580.20
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	05.09.2016 nil 500	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
16	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory



21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%
22	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार, जिसमें संपरिवर्तनीय है उसे विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, अवलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ, तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है



21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



तालिका डीएफ 13: विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्व
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टेपलेट

		सतत बेसल II अनुपालन शृंखला II	सतत बेसल II अनुपालन शृंखला III	सतत बेसल II अनुपालन शृंखला IV	बेमियादी बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09124	आइएनई565 ए09157	आइएनई565 ए09207	आइएनई565 ए09231
3	लिखतों के अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक व्यवहार				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	बेमियादी ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप में चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि पर)	120.00	48.00	180.00	1000.00
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009	04.02.2015
12	निरंतर या दिनांकित	सतत	सतत	सतत	बेमियादी
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत	सतत	सतत	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	18.05.2016, शून्य, 200	30.09.2016, शून्य, 80	29.09.2019, शून्य, 300	4.02.2020, शून्य, 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कूपन / लाभांश				
17	निश्चित या चल लाभांश / कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार



Table DF-13 : Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual Basel II	Perpetual Basel II	Perpetual Basel II	Perpetual Basel III
		Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
		SERIES II	SERIES III	SERIES IV	SERIES I
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09124	INE565 A09157	INE565 A09207	INE565 A09231
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	120.00	48.00	180.00	1000.00
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009	04.02.2015
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	18.05.2016, nil, 200	30.09.2016, nil 80	29.09.2019 nil 300	04.02.2020 nil 1000
16	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
	Coupons / dividends				
17	Fixed or floating divend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Fully discretionary



21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%	उन्नयन 0.50%	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या बैंकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार में संपरिवर्तनीय है उसे विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं		नहीं	उपलब्ध
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात 5.5
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आंशिक या पूर्णतः
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दोनों
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, अवलेखन प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बैंक पूरी तरह से अपने विवेकाधिकार से, भा.रि.बैं. से पूर्व मंजूरी लेकर अपने बॉन्ड को भविष्य में उसकी वास्तविक कीमत पर बट्टा लेखा कर सकता है, जब वह यह प्रदर्शित करता है कि उसकी पूंजी स्थिति न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं से काफी ऊपर है
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	लागू नहीं



21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Step-up 0.50%	Not Available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No		No	Available
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	Common Equity Tier1 capital ratio 5.5
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	partially or fully
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	Both
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	Bank solely at its discretion, may write up the bonds to its original value in future, when it demonstrates that its capital position is well above the minimum capital requirements and with the prior approval of RBI
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity share holders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity share holders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity share holders and subordinate to claims of all other creditors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	No
37	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Not applicable



तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टेपलेट

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला IX	शृंखला XI	शृंखला XII	शृंखला XIII	शृंखला XIV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09090	आइएनई565 ए09132	आइएनई565 ए09165	आइएनई565 ए09181	आइएनई565 ए09215
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 250	शून्य , शून्य , 500	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 290	शून्य , शून्य , 1000
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है



Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES IX	SERIES XI	SERIES XII	SERIES XIII	SERIES XIV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09090	INE565 A09132	INE565 A09165	INE565 A09181	INE565 A09215
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 250	nil, nil, 500	nil, nil, 300	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not Available	Not Available	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टेपलेट

		उच्च टियर II शृंखला I	उच्च टियर II शृंखला II	उच्च टियर II शृंखला III	उच्च टियर II शृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09140	आइएनई565 ए09173	आइएनई565 ए09199	आइएनई565 ए09223
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत
3	लिखतों का समतुल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं मोचन राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016 शून्य , 500	17.09.2018 शून्य , 655.30	01.09.2019 शून्य , 510	10.01.2021 शून्य , 967
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
12	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है



Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES I	SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09140	INE565 A09173	INE565 A09199	INE565 A09223
2	Instrument type	Upper Tier II capital Instruments	Upper Tier II capital instruments	Upper Tier II capital instruments	Upper Tier II capital instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	05.09.2016 nil 500	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
6	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्तें
विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों के लिए प्रकटीकरण टेपलेट

		सतत बेसल II अनुपालन शृंखला II	सतत बेसल II अनुपालन शृंखला III	सतत बेसल II अनुपालन शृंखला IV	सतत बेसल III अनुपालन शृंखला I
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565 ए09124	आइएनई565 ए09157	आइएनई565 ए09207	आइएनई565 ए09231
2	लिखत प्रकार	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत	सतत ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4.	सतत या दिनांकित	सतत	सतत	सतत	सतत
5.	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत	सतत	सतत	सतत
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु मिलियन में)	08.05.2016 शून्य, 200	30.09.2016 शून्य, 80	29.09.2019 शून्य, 300	04.02.2020 शून्य, 1000
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उपलब्ध नहीं
12	गैर- संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	इक्विटी शेयरधारकों के उच्चतर एवं सभी अन्य लेनदारों के दावों के निम्नतर	इक्विटी शेयरधारकों के उच्चतर एवं सभी अन्य लेनदारों के दावों के निम्नतर	इक्विटी शेयरधारकों के उच्चतर एवं सभी अन्य लेनदारों के दावों के निम्नतर	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प अनुमति दी जानी है	लागू नहीं



Table DF-14 : Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual Basel II Compliant	Perpetual Basel II Compliant	Perpetual Basel II Compliant	Perpetual Basel III Compliant SERIES I
		SERIES II	SERIES III	SERIES IV	SERIES I
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565 A09124	INE565 A09157	INE565 A09207	INE565 A09231
2	Instrument type	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments	Perpetual Debt instruments
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	18.5.2016, nil, 200	30.9.2016, nil, 80	29.9.2019, nil, 300	4.2.2020, nil, 1000
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Full Discretionary
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	No
16	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Not applicable